न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 62/2021
GCMS NO. : **2021/101**

-:: वादीगण ::-	बनाम	-:: प्रतिवादीगण ::-
1. गोपालराम पुत्र सोहनलाल जाति सरगरा निवासी राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली। 2. टीकम चंद पुत्र मांगूराम जाति नायक निवासी बिराटिया कलां तहसील रायपुर जिला पाली।		1. घेवरराम पुत्र पुसाराम 2. शैतानराम पुत्र पुसाराम फौत के का. मु. 2/1. गुदड़राम पुत्र शैतानराम जातियान मेघवाल निवासीगण अमरपुरा तहसील जैतारण जिला पाली। 3. तसीलदार जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 08/09/2021

उपस्थित:-

1. श्री राजेन्द्रसिंह उदावत, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनाँक:- 10/01/2024**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की शामलाती, खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा अमरपुरा, पटवार हल्का राबड़ियावास, तहसील जैतारण जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 72/1 रकबा 11 बीघा की स्थित है। जिसमें वादी संख्या 01 का 1/6 वां हिस्सा व वादी संख्या 02 का 1/6 वां हक हिस्सा व अधिकार तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की है। जिसकी चालू जमाबन्दी इस वादपत्र के साथ पेश है। विवादित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का मौके पर कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारों के बीच पिछले काफी समय से बंटी हुई है। लेकिन भूमि के बंटवाड़े का राजस्व रिकर्ड में दर्ज नहीं होकर उक्त भूमि शामलाती दर्ज है। इस प्रकार से उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज होने की वजह से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 आये दिन इस भूमि के नाप-चौप, सीमा व माठ को लेकर वादीगण से विवाद करते रहे हैं। जबकि वादीगण अपने हक-हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करवाकर उसका भू-रूपान्तरण करवाना चाहता है। जिसमें प्रतिवादीगण सहमत नहीं है। इस प्रकार से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की इस संयुक्त और शामलाती रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाऊडण्स बट्वाड़ा किया जाना आवश्यक है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 व 02 इसमें सहमत नहीं हो रहे है तथा दिनांक 30.07.2021 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से कथन किया की इस भूमि के नाप-चोप को लेकर भविष्य में कोई विवाद नहीं हो इस वजह से आप इस भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लेवे तथा कोई विवाद नहीं करें। लेकिन

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 व उनके परिवार वाले सहित सभी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने से इन्कार हो गए। जबकि वादीगण अपने हक-हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने का वैधानिक अधिकारी है, लेकिन प्रतिवादीगण उसमें सहमत नहीं है। जिस पर वादीगण के पास इस हेतु यह वादपत्र बाबत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा का बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। दिनांक 30.07.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने इस विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने से इन्कार करते हुये वादीगण को ऐलानिया कथन किया कि वह मौके पर से वादीगण को पूरा ही बेकाबिज कर देगें तथा अन्य किसी व्यक्ति को बैचान, हस्तान्तारण कर देगें। जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 03 भूमिधारी राजस्थान सरकारी के प्रतिनिधि इसलिए धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना-पत्र पृथक से पेश किया गया है। बिनाय वाद दिनांक 30.07.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा वादीगण से इस विवादित भूमि की मौका स्थिति को लेकर विवाद करते हुये बंटवाड़ा करवाने से इंकार करने पर बमुकाम अमरपुरा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में पैदा हुआ जो अंदर म्याद एवं अदालत श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में हैं।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में वादी गोपालराम का बयान शपथ-पत्र (PW-1) पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो शा0मि0 है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी सरहद मौजा- अमरपुरा, पटवार हल्का-राबडियावास, भू अभिलेख निरीक्षक-बलाडा, तहसील- जैतारण, जिला-ब्यावर में खसरा नम्बर 72/1 रकबा 1.7806 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल सम्वत् 2075-2078 का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2/1 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसमें माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा- अमरपुरा, पटवार हल्का-राबडियावास, भू अभिलेख निरीक्षक-बलाडा, तहसील- जैतारण, जिला-ब्यावर में खसरा नम्बर 72/1 रकबा 1.7806 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसका वादीगण के हक-हिस्सों का माफिक राजस्व रिकार्ड भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/307 दिनांक 02.08.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/23/1472 दिनांक 10.06.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शा0मि0 की गई।

अंतिम बहस वकील वादीगण की सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने वादग्रस्त आराजी का माफिक प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन

(श्याम कुमार बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

प्रस्ताव मय नजरी नक्शा बंटवाड़ा करने हेतु सहमति जाहिर की। साथ ही बंटवाड़ा मौका रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 01,2/1 ने भी अपनी सहमति स्वरूप बंटवाडा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादीगण एवं पालना रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया गया। भू-अभिलेख के खसरा नम्बर 72/1 रकबा 1.7806 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- अमरपुरा, पटवार हल्का-राबडियावास, भू अभिलेख निरीक्षक-बलाडा, तहसील- जैतारण, जिला-ब्यावर में खसरा नम्बर 72/1 रकबा 1.7806 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	गोपालराम पुत्र सोहनलाल हि0 1/2 जाति सरगरा सा0 राबडियावास खातेदार टीकमचंद पुत्र भागूराम हि0 1/2 जाति नायक सा0 बिराटियाकलां खातेदार	72/3	0.5936	बा.अ.	0.36
2.	गुदडराम पुत्र शैतानराम हि0 1/2 जाति भांबी सा0 देह खातेदार रहन SBI बैंक शाखा निमाज	72/1	0.5935	बा.अ.	0.36
	घेवरराम पुत्र पुसाराम हि0 1/2 जाति भांबी सा0 देह खातेदार रहन PNB बैंक शाखा राबडियावास	72/4	0.5935	बा.अ.	0.36

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 10/01/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10/01/2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–ब्यावर (राज०)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	6.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	5.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	14.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–:: वादीगण ::– बनाम –:: प्रतिवादीगण ::–

1. गोपालराम पुत्र सोहनलाल जाति सरगरा निवासी राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली।
2. टीकम चंद पुत्र मांगूराम जाति नायक निवासी बिराटिया कलां तहसील रायपुर जिला पाली।

बनाम

1. घेवरराम पुत्र पुसाराम
2. शैतानराम पुत्र पुसाराम फौत के का.मु.
   2/1. गुदड़राम पुत्र शैतानराम जातियान मेघवाल निवासीगण अमरपुरा तहसील जैतारण जिला पाली।
3. तसीलदार जैतारण जिला पाली।

मु०न० :रा०वा०स०: 62/2021

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–.......व हाजरी श्री राजेन्द्रसिंह उदावत, अधिवक्ता, वादीगण, मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा– अमरपुरा, पटवार हल्का–राबडियावास, भू अभिलेख निरीक्षक–बलाडा, तहसील– जैतारण, जिला–ब्यावर में खसरा नम्बर 72/1 रकबा 1.7806 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	गोपालराम पुत्र सोहनलाल हि0 1/2 जाति सरगरा सा0 राबडियावास खातेदार टीकमचंद पुत्र भागूराम हि0 1/2 जाति नायक सा0 बिराटियाकलां खातेदार	72/3	0.5936	बा.अ.	0.36
2.	गुदडराम पुत्र शैतानराम हि0 1/2 जाति भांबी सा0 देह खातेदार रहन SBI बैंक शाखा निमाज	72/1	0.5935	बा.अ.	0.36
	घेवरराम पुत्र पुसाराम हि0 1/2 जाति भांबी सा0 देह खातेदार रहन PNB बैंक शाखा राबडियावास	72/4	0.5935	बा.अ.	0.36

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीसदी सेदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक.....–......को अदा करें।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण